न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2018 **दायर दिनांकः 22.10.2018**

उनवान

1. प्रभूदयाल पुत्र छोटेरामजी आयु 80 साल जाति धाकड़ निवासी कोलूखेड़ा हाल कवाई पत्थर के स्टोक के पास तहसील अटरू थाना कवाई जिला बारां।
2. बिरधी बाई पत्नि प्रभूदयाल धाकड़ निवासी कवाई पत्थर के स्टोक के पास कवाई थाना कवाई जिला बारां।

बनाम

1. गुलाबचन्द, रामकल्याण, भवानी शंकर, महेन्द्र, देवकरण उर्फ पप्पू, मुकुट पुत्र गुलाब चन्द्र धाकड़ निवासी कोलूखेड़ा थाना कवाई जिला बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

निर्णय दिनांक 09.01.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी आयु करीब 83 वर्ष ग्राम कोलूखेड़ा तहसील छबड़ा थाना कवाई जिला बारां (राजस्थान) का रहने वाला है। प्रार्थी की ग्राम कोल्हूखेडा में करीब 200 बीघा जमीन स्थित है व प्रार्थी का मकान ग्राम कोल्हूखेडा में है। प्रार्थी के छः पुत्र गुलाबचन्द, रामकल्याण, भवानीशंकर, महेन्द्र देवकरण उर्फ पप्पू, मुकुट बिहारी है। प्रार्थी के ज्येष्ट पुत्र गुलाबचन्द ने प्रार्थी के ग्राम कवाई (सालपुरा) में स्थित मकान पर जबरन नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। तथा प्रार्थी को एक कमरा रहने के लिये दे रखा है। व खाने पीने को भी नही देता तथा प्रार्थी की कृषि भूमि पर गुलाबचन्द व प्रार्थी के अन्य पुत्रों ने कब्जा कर रखा है। तथा प्रार्थी को हारी बीमारी में दवा दारू का भी इन्तजाम नही करते, न खाने पहनने को देते है। प्रार्थी भूमि व मकान पर से कब्जा छोडने को कहता है तो लडाई झगडा गाली गलोच व मारने की धमकी देते है। प्रार्थी अत्यन्त वृद्ध आदमी है। प्रार्थी का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त मुलजिमान के खिलाफ कार्यवाही की जाकर प्रार्थी का मकान व कृषि भूमि पर से कब्जा हटाया जाकर प्रार्थी के सुपुर्द करने व मुलजिमान को पाबन्द कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाला है। जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है। घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन–यापन करना मुश्किल हो गया है। इसलिये प्रार्थी को प्रतिमाह भरण पोषण राशि 25000 दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब कर, भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ल 6 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी को अपने पुत्र 1 लगायत 6 प्रत्येक प्रतिमाह 1000/–1000/–रूपये कुल 6000/– रूपये अदा करेंगें। प्रार्थी अपने जीवनकाल तक अपने पुत्र गुलाब चन्द के कवाई स्थित मकान में 1 कमरा व 1 बरामदा में निवास करेगा इसमें अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 तैयार है। अप्रार्थी 1 ता 6 प्रार्थी को 6000/– प्रतिमाह की 1 तारीख से 10 तारीख तक अदा करेंगें। प्रार्थी के बैंक खाता में डलवा देगें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया, प्रार्थी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड़0 व अप्रार्थी 1 ल 6 की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा की गई,

अतः राजीनामा अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 ल 6 को आदेशित किया जाता है। कि प्रार्थी को प्रतिमाह की 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य प्रत्येक अप्रार्थी 1000–1000 हजार रूपये यानि 6000 रूपये प्रतिमाह अदा करेंगें तथा प्रार्थी के जीवनकाल तक अपने पुत्र गुलाबचन्द कवाई स्थित मकान में 1 कमरा व 1 बरामदा में निवास करेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल है।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां